(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–2580–दो/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.07.2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ प्रकरण कमांक 14/अ–3/2014–15

विन्द्रावन तनय श्री प्यारेलाल मेहतर
निवासी– रतनगुंवा, तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ .....**आवेदक**

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर

अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक २१\१२\१७ **को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 14/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कृषि भूमि खसरा नं. 118/1 रकवा 0.494 हे. लगानी 045 स्थित ग्राम रतनगुवां की तरमीम दुरस्त करने का आवेदन किया गया जिसे तहसीलदार लिधौरा द्वारा अपने आदेश दिनांक

15.07.2015 के द्वारा निरस्त किया गया है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा भूमि सर्वे नंबर 118/1 रकबा 0.494 हैक्टर में 3/4 हिस्सा भूमिस्वामी सावित्री, सन्तो पुत्री सुनुवा से क्रय थी। उक्त भूमि विक्रेता के पिता सुनुवा को 1981–82 में प्राप्त हुई थी जिस पर उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके थी । सुनुवा की मृत्यु के बाद वारिसानों का नामांतरण हो गया था । संहिता में 1993 में हुए संशोधन के फलस्वरूप विक्रय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । आवेदक स्वयं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है । आवेदक का भूमि पर 30–35 साल पुराना मकान बना है । आवेदक का शासकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । पूर्व में विवादित भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा दिनांक 25–1–12 को किया था उसके पालन हेतु आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन दिया गया। उक्त आदेश का पालन न करने के कारण आवेदक का अधीनस्थ न्यायालय के रीडर से विवाद हो गया था जिसकी शिकायत आवेदक के पिता द्वारा कलेक्टर से की गई थी । उक्त शिकायत करने के कारण आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच कर आदेश हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में तहसीलदार ने हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आाार पर यह पाया है कि प्रस्तावित तरमीम में शासकीय आंगनवाड़ी भवन, एक शासकीय कुंआ एक सी.सी. सड़क तथा वृक्षारोपण हेतु की गई तार फेंसिंग के कुछ भाग व कुछ व्यक्तियों के कच्चे मकान आ रहे हैं । आवेदक का स्वयं का मकान प्रस्तावित तरमीम से बाहर निकल रहा है । उन्होंने यह भी

अपने आदेश में उल्लिखित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त तरमीम पर आपत्ति की गई है । प्रश्नाधीन भूमि सार्वजनिक उपयोग की है जिस पर आवेदक का कब्जा नहीं है । उक्त आधारों पर उन्होंने आवेदक का आवेदन निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर